

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

तहसील अधिकारी :- श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

कदमा संख्या:- 24/2022

जी सी एम एस न० 2022/503

दर्ज दिनांक 17.06.2022

निर्णय दिनांक:- 04.07.2022

1. गोपालराम पुत्र श्री डेडराज जाति कुमावत निवासी गुढागौडजी तहसील गुढागौडजी जिला झुन्झुनू प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार एव लैण्ड होल्डर गुढागौडजी जिला झुन्झुनू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ० धारा 110, 128 एल.आर.एक्ट वास्ते पत्थरगढी निर्णय

दिनांक:- 04.07.2022

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना इस आशय का पेश किया है कि ग्राम गुढागौडजी तहसील गुढागौडजी की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी खसरा न० 328 रकबा 1.43 है० कुल कित्ता 1 कुल रकबा 1.43 है० अवस्थित है। जो प्रार्थी के स्वयं खातेदार है। उक्त भूमि को सीमाज्ञान दिनांक 20.05.2022 को पटवारी हल्का गुढागौडजी द्वारा मौके पर जाकर किया गया। फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है। प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांक 20.05.2022 के अनुसार भूमि के चारों ओर पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम गुढागौडजी पटवार हल्का गुढागौडजी की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा न० 328 रकबा 1.43 है० के चारों ओर दिनांक 20.05.2022 के मुताबिक सीमाज्ञान के अनुसार पत्थर गढी के आदेश अनावेदक न० 1 तहसीलदार गुढागौडजी को फरमाया जावे तथा नियमानुसार राजकीय शुल्क प्रार्थीगण से जमा लिया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। अप्रार्थी न० 1 बावजूद तामिल हाजीर नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा सीमाज्ञान दिनांक 20.05.2022 के अनुसार मौके पर सीमाचिन्ह कायम करने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार ग्राम गुढागौडजी की सरहद में भूमि खसरा न० 328 रकबा क्रमश 1.43 है० कि खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड होना साबित है। प्रार्थी उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 20.05.2022 के अनुसार खातेदारी भूमि की सीमाओं पर सीमाचिन्ह कायम करवाना चाहता है। सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है। उक्त विवेचन से प्रार्थी अनावश्यक विवादों से बचने के लिए खातेदारी भूमि की सीमाओं पर सीमाचिन्ह कायम करवाने का अधिकारी है

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार गुढागौडजी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम गुढागौडजी की सरहद में भूमि खसरा न० 328 रकबा 1.43 है० के चारों ओर सीमाज्ञान दिनांक 20.05.2022 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार शुल्क जमा कर सीमाचिन्ह यानी पत्थरगढी करवावे।

रामसिंह राजावत

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 04.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

रामसिंह राजावत

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी